राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(2) राज/वाद/2024 जयपुर दिनांक 10/7/24

:: आदेश ::

विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान से प्राप्त उनके पत्र दिनांक 02.07.2024 के क्रम में श्री शितांशु शर्मा, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक आर/1558/2009) को दिनांक 03.02.2024 से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान की सहायतार्थ उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

सामान्य शर्ते अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार है:-

1. जूनियर अधिवक्ता को विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर को प्रकरण में देय उपस्थिति फीस की 10 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. जूनियर अधिवक्ता को देय 10 प्रतिशत राशि विद्वान महाधिवक्ता की अनुशंषा पर संयुक्त रूप से अनुपातानुसार अथवा अनुशंषानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
3. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
4. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सेवा शर्तों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

ह0-
(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
4. संबंधित अधिवक्ता।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, वादकरण।
7. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
8. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

10.07.24
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि